छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 246/2006

श्री देवेन्द्र दानी .... अपीलार्थी
ब्लाक अध्यक्ष,
भारतीय किसान संघ, धमधा,
जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

श्री आर.के. नायक, ... प्रतिअपीलार्थी
कार्यपालन अभियंता एवं अपील
अधिकारी,
तांदुला जल संसाधन संभाग,
दुर्ग (छ.ग.)

श्री व्ही.के. बच्छानी, ... प्रतिअपीलार्थी
सूचना अधिकारी,
तांदुला, जल संसाधन अनुविभागीय,
धमधा, दुर्ग (छ.ग.)

:: आदेश ::
(07 सितम्बर 2006)

श्री देवेन्द्र दानी निवासी धमधा के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (3) के अंतर्गत सूचना आयोग के समक्ष दिनांक 13.06.06 को द्वितीय अपील प्रस्तुत की।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री देवेन्द्र दानी के द्वारा जन सूचना अधिकारी, सिंचाई अनुविभाग धमधा से पत्र दिनांक 20.03.06 के द्वारा आमनेर गैस मोती नाला सिंचाई योजना में नहर निर्माण कार्य एवं अकोली बांध के बरहापुर नहर नाली सुधार हेतु सांसद निधि से प्राप्त राशि का विवरण सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत चाहा था। अपीलार्थी ने अपने अपील में बतलाया कि 23 दिन के पश्चात् अपीलार्थी को सूचित किया गया कि जानकारी कार्यपालन यंत्री से प्राप्त की जावे। कार्यपालन यंत्री के द्वारा भी अनुविभागीय अधिकारी धमधा से स्पष्टीकरण मांगा गया। कार्यपालन यंत्री जो कि अपीलीय अधिकारी भी हैं, अपीलार्थी को सूचित किया गया कि वे दो रूपये कार्यालय में जमा करे। दिनांक 28.04.06 को उन्हें कार्यपालन यंत्री ने अपीलार्थी से रूपये 100/– की राशि जमा करने के लिए पत्र जारी किया। दिनांक 29.04.06 को पुनः कार्यपालन यंत्री के द्वारा अपील की रूपये 50/– की राशि कार्यालय में जमा करने के लिए नोटिस जारी किया गया। दिनांक 16.05.06 को अपीलार्थी को पुनः एक पत्र भेजा गया जिसमें कि सूचित किया गया कि कार्यालय के द्वारा किया गया पत्राचार भ्रामक, विरोधाभाषी एवं विधि के विपरीत नहीं है। इसके विरूद्ध आयोग को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई।

आयोग के द्वारा प्रतिअपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया। अपीलार्थी एवं प्रतिअपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुना गया। अपीलार्थी का यह तर्क है कि आवेदन तिथि के 23 दिनों बाद उसे जानकारी देने में असमर्थता व्यक्त की गई तथा अपीलीय अधिकारी ने भी पहले दो रूपये, फिर 100/– रूपये, फिर अपील फीस रूपये 50/– जमा करने हेतु पत्र भेजा। अपीलार्थी ने जो जानकारी मांगी थी वह अनुविभागीय अधिकारी सिंचाई से दी जा सकती है। फिर भी अनुविभागीय अधिकारी ने कार्यपालन यंत्री से जानकारी लेने के लिए अपीलार्थी को दिनांक 12.04.06 को सूचित किया। कार्यपालन यंत्री ने भी पृथक–पृथक पत्र लिखकर अपीलार्थी से राशि जमा करने के लिए निर्देश दिये जबकि कार्यपालन यंत्री अपीलीय अधिकारी है तो उन्हें अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा दिये गये आदेश के संबंध में निर्णय लेना था। उनके द्वारा स्वयं अनुविभागीय अधिकारी से स्पष्टीकरण भी मांगा गया किन्तु पुनः उनके द्वारा अपीलार्थी को जानकारी देने के लिए शुल्क भी जमा करने के लिए निर्देश दिये गये। अपीलार्थी के द्वारा आवेदन पत्र के साथ निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया और न ही अपील शुल्क जमा किया गया, साथ ही विभिन्न पत्रों के द्वारा कार्यपालन यंत्री के द्वारा मांगी गई फीस भी जमा नहीं की गई। अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा जवाब में बतलाया गया कि अपीलार्थी के द्वारा चाही गई जानकारी संभागीय कार्यालय के ही संरक्षण में रहती है तथा कार्यों की स्वीकृति भी संभागीय कार्यालय में होती है अतः उसके द्वारा अपीलार्थी को संभागीय कार्यालय में आवेदन देने हेतु सूचित किया गया था। सूचना देने में विलम्ब हुआ, इसलिए उसने क्षमा मांगी। कार्यपालन यंत्री ने भी अनुविभागीय अधिकारी के विरूद्ध दिये गये आवेदन पत्र को अपील समझकर त्रुटिवश रू. 50/– की मांग करने हेतु क्षमा मांगी है। उसने भूलवश अनुविभागीय अधिकारी के विरूद्ध आवेदन होने से अपील अधिकारी के रूप में शुल्क मांगा, जबकि इस प्रकरण में वे स्वयं सूचना अधिकारी थे।

चूंकि अपीलार्थी ने फीस जमा नहीं कराई है तथा प्रतिअपीलार्थी ने अपीलार्थी को फीस की स्पष्ट जानकारी नहीं दी एवं 23 दिन के पश्चात् अन्य कार्यालय को आवेदन दिये जाने हेतु निर्देशित किया। अतः अपीलार्थी एवं प्रतिअपीलार्थी दोनों ने इस प्रकरण में त्रुटि की है। चूंकि मांगी गई जानकारी विकास कार्यो से संबंधित है अतः जनहित में यह निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को जानकारी 15 दिन में अब निःशुल्क प्रदान की जावे। प्रकरण में अर्थदण्ड दिये जाने का औचित्य प्रतीत नहीं होता।

अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त